भारत में जानलेवा सड़कें

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

11 अक्टूबर, 2018

द हिन्दू

''मौत और घायलों की संख्या पर नए आंकड़ों ने सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है।''

बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते सड़क यातायात के बीच आज दुनिया में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में भारत में सबसे अधिक लोग मारे जाते हैं और इस कारण यह मुद्दा और भी गंभीर बन गया है।

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2017 नामक रिपोर्ट कई प्रश्नों को जन्म देती हैं। योग्य प्रदर्शन वाली नीतियों और कार्यक्रमों के कारण, यह सड़कों पर मृत्यु और घायलों की संख्या को कम करने में विफल रहा है।

मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट में जो आँकड़े दिये गए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है और इस रिपोर्ट में भी ऐसा ही बताया गया है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

सड़क परिवहन मंत्रालय के वादे को पूरा करने के लिए कुछ कोशिशे की गयी है यथा केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा में सुधार के लिए कार्य करेंगे, हालांकि नियमों का प्रवर्तन एक राज्य का मुद्दा है।

देखा जाये तो वर्ष 2017 में दुर्घटना के कारण कुल 1,47,913 लोगों की मौत हुई, फिर भी सरकार की ओर से कोई खास उपाय नहीं किये गये, जो वाकई में एक चिंता का विषय है। पिछले वर्ष की तुलना में 1.9% की कमी का दावा सांख्यिकीय रूप से महत्त्वहीन है, खासकर तब जब हम प्रति 100 दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की दर पर डेटा को देखते हैं तो।

यहां तक कि और भी चौंकाने वाला तथ्य यह है कि साइकिल चालकों/पैदल चलने वालों को भारत की सड़कों पर अधिक खतरे का सामना करना पड़ता है और आंकड़ों के अनुसार 2016 में 29% की तुलना में यह बढ़ कर 37% (मृत्यु की संख्या) हो गया हैं।

देखा जाये तो, यह स्वागतयोग्य पहल है कि सरकार वाहनों के डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर अधिक ध्यान दे रही है, लेकिन ऐसे पेशेवरता को सार्वजनिक आधारभूत संरचना तक बढ़ाया जाना चाहिए अर्थात सड़कों का डिजाइन, उनकी गुणवत्ता और रखरखाव, और सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा, आदि।

एनडीए सरकार के पास अब थोड़ा सा मौका है कि वह अपने कार्यकाल के आखिरी साल में, एक आदर्श बदलाव करे। एक प्रभावी राष्ट्रीय एजेंसी से शुरू होने के साथ कानूनी जनादेश के साथ सड़क सुरक्षा के लिए संस्थान बनाने में मूल्यवान समय खो गया है।

सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिये सड़क अभियांत्रिकी उपाय, बेहतर वाहन सुरक्षा मानक, चालकों और सामान्य जनता के लिये शिक्षा और जागरूकता, सड़क सुरक्षा कानून को लागू करना तथा दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया और ट्रॉमा केयर सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है।

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में साल 2017 के दौरान सड़कों पर गड्ढों के कारण हुए हादसों में 3,597 व्यक्तियों की मौत हुई थी।

पीठ ने कहा, चूंकि राज्य सरकारें ही सड़कों का निर्माण करती हैं, इसलिए इनके रखरखाव का दायित्व भी उनका ही है। पीठ ने बैठक में कुछ राज्यों के कथन का जिक्र करते हुए मंत्रालय के वकील से सवाल किया, राज्य यह क्या कर रहे हैं? सड़कों की देखरेख का काम किसे करना है? क्या जनता को इनका रख-रखाव करना होगा? पीठ ने सड़क सुरक्षा समिति को सड़कों पर इन गड्ढों की वजह से हुई दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों के मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

ऐसे में यह जरूरी है कि इसका कोई समाधान निकाला जाए, जिससे कि पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और बाइक चालक भी सड़क पर सुरक्षित और बिना किसी डर के चल सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि जरुरत है कि पैदल चलने वालों को अन्य लोगों से अलग रखा जाए।

* * *

भारत में सड़क दुर्घटनाएं-2017 रिपोर्ट

संदर्भ-

- सड़क दुर्घटनाओं का सबसे अधिक शिकार दुपहिया वाहन ही होते हैं।
- 2017 में देश भर में हुई सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल लगभग 30 फीसदी दुपहिया वाहनों पर सवार लोगों ने अपनी जान गंवाई जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों में 13.8 फीसदी पैदल राहगीर थे।
- सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते साल देश भर में चार लाख 64 हजार 910 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें एक लाख 47 हजार 913 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि चार लाख 70 हजार से अधिक लोग घायल हुए।
- हांलाकि, रोड ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टरी का कहना है कि 2016 के मुकाबले लगभग एक फीसदी रोड एक्सिडेंट कम हुए।

अन्य मुख्य बिंदु

- इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक 33.9 फीसदी दुपहिया वाहन शामिल थे और मरने वालों में 29.8 फीसदी भी दुपहिया वाहनों पर ही सवार थे।
- इसी तरह से इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के 72 फीसदी से अधिक पीड़ित 18 से 45 वर्ष की आयु के थे।
- गड्ढों की वजह से भी गई जान रिपोर्ट में एक आंकड़ा यह भी है कि लगभग दो फीसदी दुर्घटनाओं का कारण सड़कों के गड्ढे हैं।
- रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि सड़क दुर्घटनाओं में से 9423 दुर्घटना की वजह सड़कों पर गड्ढे ही थे, जिनकी वजह से 3597 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि 8792 घायल हुए।
- इसी तरह से यह भी महत्त्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है कि कोहरे के मौसम में 5.8 फीसदी रोड एक्सिडेंट हुए।
- कोहरे के दौरान हुए 26982 रोड एक्सिडेंट में 11 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई जबकि 24 हजार से अधिक घायल हुए।
- बारिश के मौसम के दौरान 44 हजार एक्सिडेंट में 13 हजार से अधिक लोगों की जान गई। लेकिन तीन लाख 40 हजार एक्सिडेंट ऐसे वक्त में हुए जबकि मौसम बिलकुल साफ था और धूप निकली हुई थी।

रोड इंजीनियरिंग क्या है?

- देश में सड़क इंजीनियरिंग की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार अपेक्षित है, ताकि यह गुणवत्ता अंतरर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके।
- देश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अत्यधिक गुणवत्ता की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- इसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी, पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा उपाय तथा उचित चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स में भी सुधार लाने की जरूरत है।
- इस काम में इंजीनियरिंग के नजरिए से उत्कृष्टता हासिल करने के अलावा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का कार्य भी समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिये।

सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक (2011-2020)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011-2020 को सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक के रूप में अपनाया है।
- सड़क दुर्घटनाओं से वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की पहचान करने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- दुनियाभर में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लगभग 12 लाख लोग मारे जाते हैं और लगभग 50 लाख लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं।
- इन दुर्घटनाओं में लगभग 12 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति नष्ट हो जाती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उपाय नहीं किये गए तो वर्ष 2030 तक हर पाँचवीं मौत सड़क दुर्घटना की वजह से होगी यानी लोगों के मरने का पाँचवां सबसे बड़ा कारण।
- यदि सड़क दुर्घटनाओं की यही रफ्तार बनी रही तो वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 19 लाख लोगों की मौत का कारण ये दुर्घटनाएँ होंगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2017 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है।
2. गत वर्षों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
3. गत वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित में से किन-किन उपायों द्वारा सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है?

1. सड़क अभियांत्रिक
2. वाहन सुरक्षा मानक
3. जागरूकता
4. सड़क सुरक्षा कानून
5. आकस्मिक सेवाओं का प्रसार

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 3 और 4
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

3. भारत में सड़क दुर्घटना, 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) पैदल चलने वालों को सड़क पर अधिक खतरे का सामना करना पड़ता है।
(b) पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई।
(c) सरकार की नीति सड़कों पर मृत्यु और घायलों की संख्या को कम करने में विफल रही है।
(d) सरकार द्वारा वाहनों के डिजाइनों और सुरक्षा मानकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

नोट :
10 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''अगर हम सड़क सुरक्षा को राष्ट्र के विवेक के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इसे अच्छे नागरिकों के कर्त्तव्यों से जोड़ना होगा।'' व्याख्या करें।

(250 शब्द)